



Neutral Citation No. - 2026:AHC:5790

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 82 वर्ष 2026

धर्मपाल

..... याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

..... प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता	:	आदित्य प्रकाश वर्मा, रंजना वर्मा, शैलेश वर्मा
प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता	:	मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री शैलेश वर्मा और साथ में अंकेश्वर मिश्रा (ए/ए 0355/2025) और राज्य-प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री गौरव सिंह को सुना।
2. रिट याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उसे 31.12.2008 को होम गार्ड के रूप में नियुक्त किया गया था, हालांकि, याचिकाकर्ता के विरुद्ध दो आपराधिक मामले दर्ज किए गए थे, पहला मुकदमा अपराध संख्या 0529 वर्ष 2022, अंतर्गत धारा 498-ए, 323, 506 और 354 भारतीय दंड संहिता और दूसरा मुकदमा अपराध संख्या 0296 वर्ष 2022, धारा 306 भारतीय दंड संहिता के तहत। 10.09.2025 को जिला होम गार्ड कमांडेंट शाहजहांपुर, तीसरे प्रतिवादी द्वारा याचिकाकर्ता को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिसमें उससे पूछा गया था कि आपराधिक मामले दर्ज होने के कारण उसकी नियुक्ति रद्द/समाप्त क्यों न की जाए और आगे उसे काम करने की अनुमति से इंकार क्यों न किया जाए।
3. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि संपूर्ण आधार दिनांक 18.08.2023 के सरकारी आदेश के खंड 5 से 8 हैं और इसे **रिट-ए संख्या 16186 वर्ष 2024 (महेश सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य)**, दिनांक 26.09.2025 को दिये गए निर्णय में अधिकारातीत घोषित किया गया है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि इस मामले पर तीसरे प्रतिवादी, जिला होम गार्ड कमांडेंट, शाहजहांपुर द्वारा पुनर्विचार करने की आवश्यकता है।
5. विरोधी पक्षों की दलीलों और उनके द्वारा लिए गए रुख पर विचार करते हुए, याचिका का निस्तारण रिट याचिकाकर्ता को यह स्वतंत्रता प्रदान करते हुए किया जा रहा है कि वह तीसरे प्रतिवादी के समक्ष याचिका की स्व-सत्यापित प्रति सहित एक विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकता है, जो इसे 16.01.2026 तक प्राप्त कर लेगा, तीसरे प्रतिवादी को **महेश सिंह (उपरोक्त)** मामले में दिए गए निर्णय को ध्यान में रखते हुए आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से दो महीने की अवधि के भीतर मामले पर पुनर्विचार करना होगा।
6. यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि याचिका पर प्रतिवादियों से कोई प्रतिक्रिया मांगे बिना ही निर्णय लिया गया है। इसलिए, इस आदेश को पारित करने का यह अर्थ नहीं लगाया जा सकता कि इस न्यायालय ने मामले के गुण-दोषों पर विचार किया है।
7. उपरोक्त अवलोकन के साथ, रिट याचिका का **निस्तारण** किया जाता है।

9 जनवरी, 2026

ए. प्रजापति

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)